मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 301/028/2005

भोपाल, दिनांक : 18 अप्रैल, 2017

सदस्य पद पर नियुक्ति

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में सदस्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

कार्यालय	अनारक्षित	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	02	मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 16(1) के अनुसार आवश्यक अर्हता :- (1) आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए (जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें) (2) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए, तथा (3) आवेदक योग्यता, निष्ठावान और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, लोक कार्यकलाप या प्रशासन से संबंधित समस्याओं में कार्यवाही करने का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (कृपया अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)। **विशेष** - न्यायिक पृष्ठभूमि के आवेदकों को चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

सदस्य के पद का **कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो, तक होगा। सदस्य के पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान योग्य होगा। वर्तमान में प्रति बैठक रूपये 1200/-मानदेय तथा रूपये 300/- वाहन भत्ता की दर निर्धारित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पद पर नियुक्ति नियमित शासकीय सेवा नहीं है एवं प्रति बैठक मानदेय के अतिरिक्त सदस्य को (वेतन या वेतन भत्ते संबंधी) अन्य लाभ देय नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य को राज्य आयोग की निर्धारित बैठक दिनांक को 10.30 बजे से 5 बजे तक राज्य आयोग में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदस्य का शासन या राज्य आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना आवश्यक है। साथ ही राज्य आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा श्रृंखला बैठकों हेतु निर्धारित दिनांकों पर सदस्य को अन्य मुख्यालय जैसे इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन में आयोजित बैठकों में भी भाग लेना आवश्यक है।

नोट :- (1) जन्मतिथि, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन पर कोई विचार न करते हुए प्राथमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा। (2) चयन समिति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति हेतु उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु कोई भी प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा व साक्षात्कार सम्मिलित है, अपनाई जा सकती है।

आवेदन पत्र के संबंध में जानकारी हेतु मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के कार्यालय में संपर्क करें। आयोग की वेबसाईट **www.mpscdrc.mp.gov.in** पर भी आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। आवेदन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित **दिनांक 20.05.2017** तक मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(अवधेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग भोपाल

रजिस्ट्रार
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल (म.प्र.)

LAST DATE 20.05.17

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT TO THE POST OF MEMBER OF THE M.P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION.

Photo
(Put your signature on the photo)

To,
The Registrar,
M.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal.

1. Applicant's full Name (in block letters) : ....

2. Father's / husband's name : ....

3. Date of birth : ....
(should not be less than 35 yrs on the date of application, enclose certificate)

4. Present address with telephone number, if any : ....
....

5. Permanent address : ....
....

6. Educational qualification
(minimum bachelor's degree enclose certificates)

Name of examination		Subject	Year of passing of exam.	Name of University	Division
1.	Graduation				
2.	Post-Graduation				
3.	Others				

7. Present occupation : ....

8. Experience : must have adequate knowledge and experience of at least 10 years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration (enclose certificate) : ....

9. (a) Are you holding any public, private or political office or practicing a profession ? : ....
(b) if yes, are you willing to leave that office / profession on your appointment ? : ....

Signature of the applicant

List of enclosers :